HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13924/2026
CNR: RJHC020857452026 | URN: CRLMB / 25760U / 2026

Sonu S/o Ratiram, Aged About 27 Years, R/o Kanjar Basti Tinkirudi, Police Station Mundawar, District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (Presently Confined In District Sub Jail Kishangarhbas Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P. Sharma with Ms. Nikita Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आबकारी थाना खैरथल, जिला–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2026–27 अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि तथाकथित 53 लीटर अवैध शराब की बरामदगी के समय प्रार्थी–अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं था। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को बाद में गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी दिनांक 18.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण भी संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के घर से 53 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई है, जो बड़ी मात्रा है। गम्भीर अपराध है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके घर से 53 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई है। उक्त शराब की बरामदगी के समय प्रार्थी–अभियुक्त का मौके पर उपस्थित होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 18.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त यदि भविष्य में पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत को निरस्त करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

35/NIMIT GOYAL